an>

Title: The Minister of Home Affairs laid a statement regarding release of Masrat Alam a separatist leader of Jammu & Kashmir from Jail.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 9 मार्च को मैंने इसी सदन में जम्मू-कश्मीर के एक सेपरेटिस्ट मसर्रत आलम भट्ट की रिहाई के संबंध में एक वक्तव्य दिया था। जो भी वक्तव्य मैंने दिया था, वह जम्मू-कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया था। उसी दिन मैंने सदन में यह भी कहा था कि जो भी रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर सरकार से प्राप्त हुई है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। अब जम्मू-कश्मीर सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, तो वह क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसकी जानकारी देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। कल मैं इस सदन में उपस्थित नहीं था, तो मुझे जानकारी मिली कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और श्री वेणुगोपाल जी ने मसर्रत आलम भट्ट की रिहाई के संबंध में कुछ प्रश्न खड़े किये थे। मैं समझता हूँ कि जो स्टेटमेंट मैं आज दूँगा, उससे उसका उत्तर भी उनको प्राप्त हो जाएगा।

Madam Speaker, the State Government has informed that 27 criminal cases are continuing against Masarat Alam Bhat. Masarat Alam Bhat has been booked eight times, since February, 2010 under Section 8 of the Jammu & Kashmir Public Safety Act of 1978. The last such detention order was issued by the District Magistrate, Jammu on 15.09.2014. Such detention order issued by the District Magistrate, Jammu is to be approved by the State Government within 12 days of the issuance of such detention order as per Section 8(4) of the Public Safety Act. The detention order issued by the District Magistrate, Jammu on 15.09.2014 was received in the Home Department of Jammu & Kashmir on 09.10.2014 after the lapse of 23 days and hence the same could not be approved.

The State Government has further informed that there were no fresh grounds for detention as verified from the District Magistrate, Jammu. The grounds based on which earlier detention orders were quashed by the hon. High Court and this detention order contained the same old grounds of detention.

The hon. Supreme Court of India had also, in March 2013, observed that if any fresh detention order is issued by the Government of Jammu and Kashmir with respect to Masarat Alam Bhat, the same shall not come into force for a period of one week from the date of communication of the order to enable him to pursue appropriate legal remedy.

After some correspondence with the District Magistrate, Jammu and State Law Department, the State Government wrote to the District Magistrate, Jammu on 04.02.2015 vide their letter No. Home/PD/01/2014 dated 04.02.2015 informing that the detention order dated 15.09.2014 issued by him ceased to remain in force. I would again like to repeat it, Madam Speaker that after some correspondence with the District Magistrate, Jammu and State Law Department, the State Government wrote to the District Magistrate, Jammu on 04.02.2015 vide their letter No. Home/PD/01/2014 dated 04.02.2015 informing that the detention order dated 15.09.2014 issued by him ceased to remain in force.

The District Magistrate, Jammu was further informed that a fresh order can, however, be issued for detention of the detainee after following the procedure prescribed in the Public Safety Act and directions of the hon. Supreme Court.

Thereafter, the detenue was released on 07.03.2015.

The State Government has also informed that a proper system is in place to have an effective surveillance over Masarat Alam Bhat's activities. As and when anything adverse surfaces, appropriate action as envisaged by the law will be taken. The intelligence apparatus and local police work in tandem thereby facilitating planning of advance and adequate deployment of law and order components for maintenance of peace and order in areas likely to be visited by Masarat Alam Bhat and other separatist elements.

The Home Ministry, Government of India, is issuing an advisory to the Government of Jammu & Kashmir on the following lines after receiving information from the Government of Jammu & Kashmir:

(i) All 27 criminal cases registered against Masarat Alam Bhat should be pursued vigorously and steps also taken as per law to challenge the orders pertaining to grant of bail to him in such cases. ...(*Interruptions*)

(ii) A close surveillance must be ensured on such of the activities of Masarat Alam Bhat and his other associates and followers, which are detrimental to public order or the unity and integrity of the country in general and the State of Jammu & Kashmir in particular. Anything coming to adverse notice must be promptly reviewed in the light of the Public Safety Act and appropriate action taken immediately.

हमने यह एडवाइजरी भी जारी की है:

(iii) The State Government will ensure that the surveillance and monitoring of the activities of Masarat Alam Bhat and his associates and followers as mentioned above, is done in close tandem with the Central Government security and intelligence agencies in the larger interest of maintaining peace and public order and normalcy in the State.

Thank you.

...(*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : मैडम, मेरा एक प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष : इसमें प्रश्न नहीं होता है, आप लिखित में दे दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है, आप लिखित में दे दीजिए, फिर से जानकारी आ जाएगी।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह विषय आपने शून्यकाल में उठाया था।

â€¦(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैडम, उस समय वहां राष्ट्रपति शासन लागू था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं होता है।

क्या मंत्री जी जवाब दे रहे हैं? अगर मंत्री जी जवाब देना चाहें तो आप पूछिए।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैडम, मंत्री जी सहमत हैं कि ऐसे व्यक्ति को रिहा नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा एक ही प्रश्न है, जैसा मंत्री जी ने पढ़ा है, चार तारीख के ऑर्डर में लिखा है :

"However, a fresh Order can be issued for detention of detenue after following the prescribed procedure in the Act."

जब राष्ट्रपति शासन लागू था तो दिल्ली की सरकार ने उसकी डिटेंशन के लिए फ्रेश ऑर्डर क्यों इश्यू नहीं किया? उस समय वहां राष्ट्रपति शासन लागू था, वहां जम्मू-कश्मीर की सरकार नहीं थी। मेरा कल एकमात्र प्रश्न था और आज भी वही प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू था तो केन्द्र सरकार ने इस विधि के तहत उस व्यक्ति की डिटेंशन के लिए फ्रेश ऑर्डर क्यों इश्यू नहीं किया? इसका जवाब गृहमंत्री जी सदन को जरूर दें।

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, जो भी कार्रवाई हो रही थी, वह स्टेट एक्ट के तहत हो रही थी। इसके साथ ही, वहां राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद जो पत्र जारी किया गया है, उस पत्र को भी मैं यहां पढ़ देना चाहता हूं, शायद आपने उसे देखा भी होगा। उसमें सीधे-सीधे यह लिखा गया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऐसा आदेश है कि यदि कोई नया डिटेंशन ऑर्डर जारी करना है तो उसके लिए फ्रेश ग्राउण्ड चाहिए। पुराने ग्राउण्ड्स के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए सीधे चार फरवरी को गवर्नर्स रूल के समय जो आदेश जारी किया गया है, उसमें लिखा गया है कि आप फ्रेश ग्राउण्ड्स के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैडम, फ्रेश ग्राउण्ड की बात नहीं लिखी है।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : ऐसा लिखा हुआ है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैडम, फ्रेश ग्राउण्ड की बात इसमें नहीं लिखी है। मैं इसे पढ़ता हूं:

"However, a fresh Order can be issued for detention of detenue after following the prescribed procedure in the Act. "

There is nothing here saying 'fresh grounds'. â€¦ (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : उसमें प्रोसीजर की बात लिखी है।

â€¦(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, ज्योतिरादित्य जी ने जो सवाल किया है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई फ्रेश ऑर्डर जारी होगा तो फ्रेश ग्राउण्ड के आधार पर ही जारी होगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप वकील मत बनिए, कोई जज मत बनो। बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरादित्य जी, प्लीज बैठ जाइए। ऐसा नहीं होता है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे चर्चा नहीं होती है, आप इसको फिर से स्टडी कीजिए। बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(*Interruptions*)*

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है। जोर-जोर से चिल्लाकर कोई बात नहीं होती है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उत्तर दिया गया है। प्रोसीजर क्या है, उसको पढ़िए, फिर बात कीजिए। ऐसा नहीं होता है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए। सबसे पहले आप अपनी सीट पर जाइए। यह क्या बात है। बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज चिल्लाइए मत। कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(*Interruptions*) *

माननीय अध्यक्ष: ऐसे नहीं होता है, आप बैठ जाएं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि अभी शून्य काल नहीं होगा। आज का बिजनेस खत्म होने के बाद हम शून्य काल को लेंगे।

...(व्यवधान)

12.15 hrs.